प्रेस नोट

दिनांक – 18.12.24

अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस सहित 01 युवक गिरफ्तार-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झाँसी पुलिस द्वारा किये जा रहे प्रभावी कार्यवाही के क्रम में थाना सीपरी बाजार पुलिस द्वारा दिनांक 18.12.2024 को समय 01.35 बजे होटल द क्राउन से आगे हाइवे पर डीडी विशन पुलिया के सामने थाना क्षेत्र सीपरी बाजार से अभियुक्त सुजांत उर्फ कल्ला पुत्र यशवंत आदिवासी उम्र करीब 20 वर्ष नि ग्राम गोहद थाना भिण्ड जिला भिण्ड (म0प्र0) को एक अदद 315 बोर देशी तमंचा मय एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर थाना सीपरी बाजार पर अभियुक्त सुजांत उर्फ कल्ला उपरोक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 420/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का विवरण –

सुजांत उर्फ कल्ला पुत्र यशवंत आदिवासी उम्र करीब 20 वर्ष नि ग्राम गोहद थाना भिण्ड जिला भिण्ड म0प्र0

बरामदगी- 01 अदद 315 बोर देशी तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

1. प्र0नि0 अखिलेश द्विवेदी
2. उ0नि0 अंकित पवार
3. का0 1178 रामचरन
4. का0 720 डालेन्द्र